391

संख्या– /XXVIII–4–2014–31 / 2014

प्रेषक,

अतर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4

देहरादून : दिनांक 25 सितम्बर, 2014

विषय : **जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत उपकेन्द्र मिरचौड़ा विकास खण्ड कल्जीखाल के अनावसीय भवन के निर्माण के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–7प / 1 / 28 / 2014 / 16044, दिनॉक: 08.05.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत उपकेन्द्र मिरचौड़ा विकास खण्ड कल्जीखाल के अनावसीय भवन के निर्माण के प्रथम चरण के आगणन हेतु धनराशि रू0 0.30 लाख (रू0 तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
4. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भॉति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।
5. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
6. यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाए।
7. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

8. प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तद्नुसार कार्यवाही की जाये।

9. उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 4211–परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–101–ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा–03–उपकेन्द्रों के भवन का निर्माण–24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–139(P)/XXVII(3)2014-15, दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्न : साफ्टवेयर आवंटन की प्रति।

भवदीय,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 704 (1)/XXVIII–4–2014–31/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून ।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी गढ़वाल।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड ।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
8. परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी गढ़वाल।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/चिकित्सा अनुभाग–5
10. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(शिवेन्द्र नारायण सिंह)
अनु सचिव।